



राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

प्रचालनात्मक दिशानिर्देश



कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007





सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

प्रचालनात्मक दिशानिर्देश

कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि मंत्रालय
भारत सरकार

अगस्त, 2007



सत्यमेव जयते

पी.के. मिश्रा

सचिव, भारत सरकार
Secretary
Government of India

भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
कृषि एवं सहकारिता विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
दूरभाष/Phone : 23382651, 23388444
फैक्स सं./Fax No. : 23386004


प्रस्तावना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जिसे केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में हाल ही में शुरू किया गया है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा। इसका लक्ष्य सतत आधार पर गेहूं, चावल और दलहनों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है जिससे कि देश की खाद्य-सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसका दृष्टिकोण उन्नत प्रौद्योगिकियों और कृषि प्रबंधन प्रथाओं के प्रसारण के माध्यम से इन फसलों के संबंध में उत्पादन अंतराल को पाटना है।

इसके अन्तर्गत उन जिलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना प्रस्तावित है जहां उत्पादन की अधिक संभावना है किन्तु वर्तमान में उत्पादकता-निष्पादन का स्तर अपेक्षाकृत कम है। इसमें कार्यक्रमों की एक शृंखला होगी जिससे संसाधन विहीन किसानों तक पहुंचने के प्रयास किए जाएंगे और विभिन्न कार्यकलापों का सतत अनुश्रवण किया जाएगा। पंचायती राज संस्थान न केवल लाभानुभोगियों के चयन और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान में बल्कि मिशन के कार्यकलापों के संपूर्ण क्षेत्र में केन्द्रीय भूमिका निभाएंगे। परियोजना प्रबंधन, अनुश्रवण तथा मूल्यांकन के एक सुदृढ़ घटक के सहारे योजना को मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में मिशन के उद्देश्यों और कार्यनीति की रूपरेखा, कार्यक्रम के कार्य विन्दुओं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं, सहायता के मानकों और अनुश्रवण तथा मूल्यांकन प्रक्रियाओं को दर्शाया गया है। यह कहना अनावश्यक है कि राज्य अपनी कृषि जलवायवीय स्थितियों के आधार पर कार्यक्रम तैयार करेंगे और अभिनव उपायों को अपनाएंगे।

मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें इन दिशानिर्देश को सभी क्षेत्र-स्तरीय कर्मियों और अन्य संबंधित लोगों के बीच प्रसारित करेंगी जिससे कि देश की खाद्य सुरक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उनको सक्षम बनाया जा सके।


(पी. के. मिश्रा)

5 सितंबर, 2007
नई दिल्ली